



क्रमांक: एफ4 (51)आकाशि / नि.सं. / 2020 / ५१८

दिनांक: - २१-०८-२०२०

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संरथा अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 से सत्र 2022-2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संघालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पाद्यकम
परिष्कार शिक्षण रांगथान, हाडेचा, तहसील वितलवाना, जिला जालोर।	परिष्कार महाविद्यालय, गलीफा, तहसील वितलवाना, जिला जालोर।	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय— भूगोल, हिन्दी राष्ट्रीय, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत।

- संरथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संरथा सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संरथा किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में गानदण्डानुसार रख्य की भूमि पर रख्य के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संरथा द्वारा सावधि जमा राशि (एफ डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संरथा अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अग्रिम उपलब्ध करायेगी।
- संरथा रावधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में दी०री०आई० रो मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संरथा प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाच्छाद्ध एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक रटाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संरथा रावधित विषयवार रीटों का आवटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथ संख्या रीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा वाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संरथा प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरितका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण रूपनाये गरकर निदेशालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विभाग गंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- विशिष्ट संचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जालोर।
- कुल राविव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- संचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर